# कार्यकारी सारांश

## 1. प्रतिवेदन

*यह प्रतिवेदन, छत्तीसगढ़ शासन के 31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लेखाओं की लेखापरीक्षा के आधार पर, राज्य शासन के वित्त का विश्लेषणात्मक समीक्षा प्रदान करता है ।*

## 2. लेखापरीक्षा जाँच परिणाम

### 2.1 राजकोषीय स्थिति

*राज्य की राजकोषीय स्थिति को तीन मुख्य मापदंडों के संदर्भ में देखा जाता है–राजस्व घाटा/आधिक्य, राजकोषीय घाटा/आधिक्य तथा सकल राज्य घरेलू उत्पाद से बकाया ऋणों का अनुपात।*

*मार्च 2020 के अंत तक ₹9,608.61 करोड़ के राजस्व घाटे की तुलना में, मार्च 2021 के अंत तक राज्य का राजस्व घाटा ₹6,856.66 करोड़ था। सकल राज्य घरेलू उत्पाद (4.53 प्रतिशत) के सापेक्ष राजकोषीय घाटा राज्य एफ.आर.बी.एम. अधिनियम (5.00 प्रतिशत) के तहत निर्धारित 5.00 प्रतिशत के लक्ष्य के अंदर था।*

*वर्ष 2020–21 के दौरान राज्य का बकाया ऋण सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत, छत्तीसगढ़ राजकोषीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबंधन अधिनियम के अंतर्गत, राज्य शासन द्वारा एमटीएफपीएस में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के निर्धारित लक्ष्य 21.59 प्रतिशत से अधिक था । जबकि, ऋण–जीएसडीपी अनुपात पंद्रहवें वित्त आयोग द्वारा निर्धारित लक्ष्य (28.10 प्रतिशत) के अंदर था।*

*यद्यपि छत्तीसगढ़ ने सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2019–20 के दौरान भारत की सकल घरेलू उत्पाद की तुलना में उच्च दर से वृद्धि दर्ज की, तथापि पिछले वर्ष की तुलना में कम वृद्धि दर दर्ज की गयी थी। वर्ष 2020–21 के दौरान सकल राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर में कमी मुख्यतः तीनों क्षेत्र–कृषि, उद्योग एवं सेवा क्षेत्र में वर्ष 2019–20 में वृद्धि दर क्रमशः 13.35 प्रतिशत, 4.73 प्रतिशत तथा 10.01 प्रतिशत से वर्ष 2020–21 में क्रमशः 10.40 प्रतिशत, (-)3.34 प्रतिशत तथ 3.34 प्रतिशत की कमी के कारण हुई। छत्तीसगढ़ की सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रमुख योगदान उद्योग क्षेत्र था, जबकी राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद, का प्रमुख योगदान कारक सेवा क्षेत्र था ।*

**(प्रथम अध्याय)**

### 2.2 राज्य के वित्त

*राज्य शासन ने पिछले वर्ष की तुलना में 2020–21 में अपने राजस्व प्राप्ति में 1.08 प्रतिशत की मामूली कमी दर्ज की। स्वयं के कर राजस्व में क्रमशः 3.49 प्रतिशत की वृद्धि और करेत्तर राजस्व में 10.04 प्रतिशत की कमी हुई और बजट अनुमानों में निर्धारित अपने लक्ष्यों को प्राप्त नहीं कर सका। राज्य को भारत सरकार से केंद्रीय करों और शुल्कों का राज्य के हिस्से एवं सहायता अनुदान से आने वाले 52 प्रतिशत राजस्व पर निर्भर रहना जारी रहा।*

*पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2020–21 के दौरान राजस्व व्यय में 4.69 प्रतिशत की कमी हुई, जबकि इसी अवधि के दौरान पूँजीगत व्यय में 5.34 प्रतिशत की वृद्धि हुई।*

*वर्ष 2019–20 की तुलना में वर्ष 2020–21 मे ऋण पुनर्भुगतान मे कमी हुई और कुल ऋण प्राप्तियों में वर्ष 2019–20 की तुलना में ₹1,994.15 करोड़ (10.18 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। वर्ष 2020–21 के अंत में राज्य शासन का कुल बकाया ऋण ₹3,109 करोड़ के बैक टू बैक ऋण को छोड़कर ₹89,605.22 करोड़ होगा। उधार ली गई धनराशि का उपयोग पूँजीगत निर्माण और विकासात्मक गतिविधियों के लिए किया जाना चाहिए। वर्तमान व्यय के लिए उधार ली गई धनराशि का उपयोग करना और बकाया ऋण पर ब्याज की अदायगी धारणीय नहीं है और यह संपत्ति के निर्माण को प्रभावित करेगा।*

**(द्वितीय अध्याय)**

## 2.3 बजटीय प्रबंधन

*राज्य शासन का बजटीय अनुमान 2020–21 के दौरान वास्तविक नहीं था और बजट के क्रियान्वयन पर नियंत्रण तथा निगरानी पर नियंत्रण अपर्याप्त था। साथ ही, पिछले वर्ष (86.30 प्रतिशत) की तुलना में 2020–21 के दौरान बजटीय निधियों (81.22 प्रतिशत) के उपयोग का प्रतिशत घट गया।*

*दो अनुदान और दो विनियोग से संबंधित ₹3,432.12 करोड़ के अतिरिक्त व्यय को नियमित करने की आवश्यकता है।*

*बिना पर्याप्त कारण के अनुपूरक अनुदान/विनियोजन किये गये। बचतों को न तो समय पर अभ्यर्पित किया गया और न ही आवंटनों की तुलना में व्यय भिन्नता के लियें महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को स्पष्टीकरण प्रदान किया गया। सतत् बचत के प्रति विभागों को आगाह नहीं किया गया, न ही उनके बजट में आवंटन को अवशोषित करने की क्षमता में परिवर्तन पाया गया ।*

**(तृतीय अध्याय)**

## 2.4 लेखाओं एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रणाली की गुणवत्ता

*विशिष्ट विकासात्मक कार्यक्रमों/परियोजनाओं के लिए आहरित धनराशि के लिए विभागों द्वारा उपयोगिता प्रमाण पत्र (यू.सी.) और विस्तृत आकस्मिक देयकों को जमा नही करना और सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं द्वारा लेखों को जमा नहीं करना निर्धारित वित्तीय नियमों और निर्देशों का उल्लंघन था। यह राज्य शासन के अपर्याप्त आंतरिक नियंत्रणों और दोषपूर्ण निगरानी तंत्र को दर्शाता है।*

*सर्वग्राही लघु शीर्ष 800–अन्य प्राप्तियाँ (₹3,030.67 करोड़) एवं अन्य व्यय (₹1,268.92 करोड़) के संचालन में वित्तीय रिपोर्टिंग में पारदर्शिता प्रभावित हुआ एवं आवटंन प्राथमिकताओं और व्यय की सार्थकता का सही विश्लेषण भी धूमिल हुआ।*

*महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के आकड़ों के साथ राज्य के नियंत्रक अधिकारियों द्वारा दर्ज की गई प्राप्तियाँ एवं व्यय का मिलान न किया जाना शासन की कमजोर आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को दर्शाता है और लेखों की सटीकता से संबंधित चिंताओं को उजागर करता।*

*छत्तीसगढ़ शासन ने विभिन्न सामाजिक, आर्थिक एवं विकासात्मक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों द्वारा ली गई ऋण से संबंधित अपनी देयताओं को अपने बजट में परिलक्षित नहीं किया है।*

**(चतुर्थ अध्याय)**

## 2.5 राज्य के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों का वित्तीय प्रदर्शन

*31 मार्च 2021 की स्थिति में, एक सांविधिक निगम सम्मिलित करते हुए 30 पीएसयूज थे। 30 में से दो निष्क्रिय पीएसयूज हैं। 28 कार्यरत पीएसयूज में से केवल 25 पीएसयूज (24 कम्पनियाँ एवं एक सांविधिक निगम), जिनके लेखें 30 सितम्बर 2021 की स्थिति में दो या कम वर्षों के लिए बकाया थे, को वित्तीय प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण हेतु सम्मिलित किया गया है।*

*पीएसयूज के अद्यतन लेखों एवं प्रदत्त सूचना के अनुसार इन्होंने ₹39,964.32 करोड़ का वार्षिक टर्नओवर दर्ज किया जो कि छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के 11.41 प्रतिशत के बराबर था। 31 मार्च 2021 की स्थिति में केन्द्र एवं राज्य सरकारों तथा अन्य का इन 30 पीएसयूज में पूँजी और दीर्घावधि ऋणों में निवेश ₹20,878.89 करोड़ था।*

*25 पीएसयूज (इस प्रतिवेदन में शामिल) में से 15 पीएसयूज ने 2020–21 में ₹697.56 करोड़ का लाभ अर्जित किया, सात पीएसयूज ने ₹978.50 करोड़ की हानि वहन की एवं तीन पीएसयूज ने न तो लाभ और न ही हानि प्रतिवेदित की। लाभ में प्रमुख योगदान छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत उत्पादन कम्पनी लिमिटेड (₹402.68 करोड़) एवं छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम (₹138.69 करोड़) द्वारा दिया गया और छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड ने सर्वाधिक हानि (₹972.64 करोड़) वहन की। केवल दो पीएसयूज छत्तीसगढ़ राज्य वन विकास निगम और छत्तीसगढ़ राज्य भंडारण निगम ने क्रमशः ₹3.03 करोड़ एवं ₹0.81 करोड़ के लाभांश की घोषणा की।*

*25 पीएसयूज द्वारा प्रतिवेदित संचित हानि ₹4,872.05 करोड़ थी, परिणामतः 31 मार्च 2021 की स्थिति में निवल मूल्य क्षरित होकर ₹2,391.21 करोड़ हो गया। एक पीएसयू नामतः छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत वितरण कम्पनी लिमिटेड (सीएसपीडीसीएल), जिसने वर्ष 2020–21 के दौरान ₹972.64 करोड़ की हानि वहन की, ने 31 मार्च 2021 की स्थिति में ₹7,290.33 करोड़ की संचित हानि प्रतिवेदित की।*

*केवल सात पीएसयूज के वर्ष 2020–21 के वित्तीय विवरण समय पर प्राप्त हुए। 23 पीएसयूज लेखों को समयानुसार प्रस्तुत करने में विफल रहे। 23 पीएसयूज से संबंधित 40 लेखें बकाया थे।*

*सीएजी की लेखापरीक्षा के परिणामस्वरुप, वित्तीय विवरणों में लाभप्रदता को ₹14.22 करोड़ से और परिसंपत्तियों/देयताओं को ₹63.07 करोड़ से प्रभावित करने वाली गलतियों पर प्रकाश डालने वाली महत्वपूर्ण टिप्पणियाँ जारी की गयी थी।*

*अनुपूरक लेखापरीक्षा के दौरान वित्तीय प्रतिवेदनों में पायी गई अनियमिताएं एवं कमियाँ, जो महत्वपूर्ण नहीं थी, को सुधारात्मक कार्यवाई करने हेतु तीन पीएसयूज के प्रबंधन को 'प्रबंधन पत्र' के माध्यम से सूचित किया गया।*

**(पंचम अध्याय)**